फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :- 45/2021 राजेन्द्र **बनाम** सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.09.2021	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र कमांक/भू.अ/21/2088 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा प्रार्थी राजेन्द्र कुमार बैरवा पुत्र श्री नानगचन्द बैरवा का प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि किये जाने का पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थी के नाम विरासत का नामान्तकरण खोलते वक्त ना.स 9 मे सोनू पुत्र नानगराम बैरवा के नाम से खोल दिया गया जबकि प्रार्थी का नाम आधार कार्ड, ड्राईविग लाइसेन्स, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत रामनगर द्वारा प्रमाणित लैटरपैड में आवेदन का नाम राजेन्द्र कुमार पुत्र नानगचन्द बैरवा दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार भी नाम शुद्धि किये जाने की अनुसंशा की गयी है। जवाब सरकार रिपोर्ट पटवारी हल्का व प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राईविग लाइसेन्स, पैन कार्ड, ग्राम पंचायत रामनगर द्वारा प्रमाणित लैटरपैड के आधार पर व प्रार्थी के स्वयं के संलग्न शपथ पत्र के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 136 के अन्तर्गत स्वीकार किय जाकर ग्राम चीमापुरा तहसील कोटखावदा के खाता संख्या 8 किता 2 रकबा 2.02 है0, सम्वंत 2073–2076 में अंकित सोनू पुत्र नानगराम के स्थान पर सोनू उर्फ राजेन्द्र कुमार पुत्र नानगचन्द शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)	

D:\Office\CRT\rajendra01 vs sakrakr.docx

Scanned with CamScanner